विविध बैंक प्रकरण संख्या 41/2018(GCMS : 2018/41) डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड वाया एफ-5 सैकिण्ड फ्लोर, गीजगढ़ टावर, हवा सड़क, सिविल लाईन जयपुर (राज.) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमलेश शर्मा बनाम 1. मोहित बजाज पुत्र स्व. श्री नन्दलाल निवासी प्लॉट नं. 44, पट्टा नं. 88, ग्राम पंचायत चूनावढ श्रीगंगानगर (राज.) एवं वार्ड नं 2, वी.पी.ओ. चूनावढ, 30 जीजी, चूनावढ, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर – 335001 2. नीलम नन्दलाल पत्नी स्व.श्री नन्दलाल निवासी प्लॉट नं. 44, पट्टा नं. 88, ग्राम पंचायत चूनावढ, श्रीगंगानगर 335001 एवं वार्ड नं 2. वीपीओ, चूनावढ, 30 जीजी, चूनावढ, गंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी डी.सी.बी. बैंक ने अप्रार्थीगण मोहित बजाज एवं नीलम नन्दलाल द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मोहित बजाज की **सम्पत्ति प्लॉट 44, पट्टा नं. 88, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर –335001 का भौतिक** कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2018 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रेस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 05.04.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी डी.सी.बी. बैंक लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मोहित बजाज एवं नीलम नन्दलाल के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मोहित बजाज की **सम्पत्ति**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्री गंगानगर

प्लॉट [redacted], पट्टा नं. 88, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर [redacted] का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात सीट ड्रैस करते है। इस आशय का अंकन प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम के हाशिये पर भी किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी डी.सी.बी. बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:09 IST
Reason: SelfAttested